न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 24 / 2026(GCMS 2026/64)
(RTI No. 212169874905729)

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम ब्राह्मण गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान मोबाईल नम्बर 83028–43665

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **उप तहसीलदार**, समेजा कोठी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2026 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उप तहसीलदार, समेजा कोठी से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2026 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. ग्राम खांटा, बारानी मुरब्बा नम्बर 87 व 156 की लगभग 50 बीघा सरकारी भूमि का नाजायज काश्त (धारा 22) के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2025 तक कुल कितना राजस्व / जुर्माना / लगान राजकोष में जमा करवाया गया है?
2. उपरोक्त अविध में वर्षवार जमा की गई राशि का विवरण प्रमाणित प्रतियां सहित उपलबध कराया जाए।
3. जमा की की गई राशि की चालान / रसीद / राजकोषीय प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएं
4. यदि किसी वर्ष में कोई राशि जमा नहीं कराई गई हो तो उसके कारण का अभिलेखीय विवरण उपलब्ध कराया जाए।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील **RTI 24/2026** (GCMS No. 2026/164)
रामचन्द्र बनाम नायब तहसीलदार, समेजा कोठी
(RTI No. 212169874905729)
आदेश दिनांक 22.05.2026

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपतहसीलदार, समेजा कोठी , तहसील रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2026/302 दिनांक 05.05.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित की है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी श्री रामचन्द्र द्वारा दिनांक 04.02.2026 को चक खाटां बारानी के मुरब्बा नं. 87 व 156 में भूमि अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है, जिसके सम्बन्ध में परिवादी द्वारा 2008 से 2025 तक, उपरोक्त अराजीराज रकबे पर नाजायज काश्त के अन्तर्गत कुल राजस्व/जुर्माना राजकोष में जमा करवाया है की आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से सूचना चाही गई थी, प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पर श्रीमान् तहसीलदार महोदया, रायसिंहनगर से प्राप्त आदेशों की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2026/23 दिनांक 17.02.2026 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय रायसिंहनगर को प्रेषित कर दी गई थी, जिस पर प्रार्थी के ऑनलाईन आवेदन पर सूचना सहित जवाब अपलोड़ कर दिया गया था।
>
> अतः श्रीमान्जी से निवेदन है क प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यलय में संधारित अभिलेखानुसर पूर्व में इस कार्यालय में श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रायसिंहनगर के कार्यालय के माध्यम से प्रार्थी के ऑनलाईन आवेदन पर सूचना सहित जवाब उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसकी चित्र प्रति संल्गन कर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुनः तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील/परिवाद खारिज करने की अनुकम्पा फरमावें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील **RTI 24/2026** (GCMS No. 2026/164)
रामचन्द्र बनाम नायब तहसीलदार, समेजा कोठी
(RTI No. 212169874905729)
आदेश दिनांक 22.05.2026

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार, समेजाकोठी तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2026/302 दिनांक 05.05.2026 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार, समेजा कोठी, तहसील रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर